

# केंद्रीय विद्यालय दमोह

## सूचना

11.08.2020

केंद्रीय विद्यालय दमोह में कक्षा पहली में प्रवेश हेतु अनंतिम चयनित सूची एवं प्रतीक्षा सूची विद्यालय सूचना पटल एवं विद्यालय वेबसाइट(damoh.kvs.ac.in) पर लगा दी गई है |

अनंतिम चयन सूची के चयनित अभ्यर्थियों के अभिभावक निर्धारित तिथि व समय पर वरीयता क्रम में निम्नलिखित दस्तावेजों के सत्यापन हेतु सभी मूल दस्तावेज एवं उनकी छायाप्रति सहित विद्यालय में सम्पर्क करें।

| श्रेणी     | वरीयता क्रम | दिनांक     | समय                     |
|------------|-------------|------------|-------------------------|
| CATEGORY 1 | 1 से 6      | 18.08.2020 | सुबह 11:00 से 11:50 तक  |
| CATEGORY 1 | 7 से 12     | 18.08.2020 | दोपहर 12:00 से 12:50 तक |
| CATEGORY 2 | 1 से 5      | 18.08.2020 | सुबह 11:00 से 11:50 तक  |
| CATEGORY 2 | 6 से 10     | 19.08.2020 | दोपहर 12:00 से 12:50 तक |
| CATEGORY 2 | 11 से 15    | 19.08.2020 | दोपहर 01:00 से 01:50 तक |

1. चेकलिस्ट (विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड करें)
2. **ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म (बच्चे की फोटो लगा हुआ)**
3. प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
4. बच्चे का ब्लड ग्रुप
5. बच्चे का आधार कार्ड
6. दूरी प्रमाण पत्र (प्रारूप विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड करें)
7. निवास प्रमाण पत्र
8. बच्चे की समग्र आईडी
9. अभिभावक का आधार कार्ड
10. अभिभावक की समग्र आईडी (परिवार आईडी)
11. राशन कार्ड
12. बच्चे का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र ( यदि लागू हो )
13. बच्चे के बैंक अकाउंट की पासबुक ( प्रथम पेज )
14. शासकीय कर्मचारियों के लिए
  - (क) सेवा प्रमाण पत्र (प्रारूप विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड करें)
  - (ख) वेतन पर्ची
  - (ग) PRAN CARD
  - (घ) नियुक्ति आदेश
  - (ङ) स्थानान्तरण आदेश
14. BPL /EWS (यदि लागू हो)

- (क) BPL / EWS का प्रमाण पत्र (आज दिनांक तक वैध )
- (ख) गरीबी रेखा का राशन कार्ड
- (ग) गरीबी रेखा की सूची जिसमें अभिभावक का नाम हो
- (घ) राशन लिए जाने की नवीनतम पर्ची

वर्तमान में **COVID-19** की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी (केंद्र/राज्य/स्थानीय) द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों की अनुपालना में अभिभावकों से अनुरोध है कि वे विद्यालय में आकर भीड़ एकत्रित न करें। प्रवेश संबंधी सभी सूचनाओं की जानकारी, पंजीकरण प्रपत्र भरने के लिए विद्यालय की वेबसाइट निरंतर देखें।

आदेशानुसार प्राचार्य